मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज ।

पत्र संख्या:– सी0एफ0ओ0 / एफ एस / स्कूल / 2022/1018 **दिनांक–** दिसम्बर, 28 ,2022

सेवा में,

प्रबन्धक / आवेदक,

महर्षि अरविन्द विद्या निकेतन

गुनई, मेजा, प्रयागराज ।

विषय– महर्षि अरविन्द विद्या निकेतन गुनई, मेजा, प्रयागराज में अग्निशमन व्यवस्थाओं उपकरणों का फायर ऑडिट प्रमाण–पत्र 2022–23 का निर्गत किये जाने के संबन्ध में।

सन्दर्भ– आप के प्रार्थना पत्र दिनांक 06–12–2022 के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक महर्षि अरविन्द विद्या निकेतन गुनई, मेजा, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया तो निम्नलिखित स्थिति पायी गयी–

1– प्राथमिक अग्निशभन उपकरण– सदन के प्रत्येक तल पर स्थापित एवं कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गयें। जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क राजकीय कोष मे जमा करा दिया गया है।

2– होजरील– भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, टेरिस टैंक व टेरिस पम्प स्थापित एवं कार्यशील पाया गया।

3– भवन में लगे समस्त अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गयें ।

4– भवन एक्टिव साइनेज स्थापित पाया गया।

5– स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ–जा सकते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर पूर्व में निर्गत नवीनीकरण प्रमाण के क्रम में उपकरणों का फायर ऑडिट प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया गया है।

1– आवेदक/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाये में रखा जाए।

2– भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जायें ।

3– किसी प्रकार का अतिरिक्त निमार्ण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अबिलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय, अबिलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये। .

5– वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से भवन मे जीवन तथा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। .

6–भवन स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक आवेदक की होगी। तथा निर्गत किया जा रहा अग्निशमन नवीनीकरण प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7– अग्निशमन प्रमाण–पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद

(राजीव कुमार पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज

प्रतिलिपि – अग्निशमन अधिकारी, सिविल लाइन प्रयागराज को